बिहार सरकार
<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

ज्ञापांक________________________ पटना, दिनांक ___________

ग्रा0वि0-6-बजट/05-03/2017

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-42 के तहत NRLM (एन0आर0एल0एम0) के लिए राज्यांश के रूप में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मद में पुर्नविनियोग के पश्चात संशोधित बजट उपबंधित राशि रू0 12759.53 लाख (एक अरब सताईस करोड़ उनसठ लाख तिरपन हजार) के विरूद्ध राज्यांश के रूप में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मद में सहायक अनुदान के मद में पूर्व में स्वीकृत राशि रू0 8510.53 लाख (पचासी करोड़ दस लाख तिरपन हजार) के अतिरिक्त राशि रू0 4249.00 लाख (बियालीस करोड़ उनचास लाख) की राशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष- 2017-18 में विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेश :- स्वीकृत ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन बढ़ाना एवं विस्तार करना, वित्तीय समावेशन, रोजगार पाने योग्य कुशल बनाना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं आजीविका संवर्द्धन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आ0एल0एम0) योजना चलाई जा रही है ।

2. NRLM (एन0आर0एल0एम0) एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है । वर्ष- 2014-15 से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन के पश्चात केन्द्र प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश व राज्यांश की राशि का व्यय सहायक अनुदान मद में ही निर्धारित है । स्कीम पर होने वाला व्यय का भार का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक- 01.04.2015 से क्रमशः 60:40 के अनुपात में किया जाता है ।

3. NRLM (एन0आर0एल0एम0) स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यांश के रूप में मुख्य शीर्ष- 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42-2501067890302 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन में राज्यांश के रूप में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मद में पुर्नविनियोग के पश्चात राशि रू0 12759.53 लाख (एक अरब सताईस करोड़ उनसठ लाख तिरपन हजार) का संशोधित योजना उद्व्यय है एवं समतुल्य राशि का ही बजट उपबंध है, जिकसे विरूद्ध पूर्व में विभागीय

पत्रांक 313996 दिनांक 16.02.2017 द्वारा राशि रू0 8510.53 लाख (पचासी **करोड़ दस लाख** तिरपन हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा शेष राशि रू0 4249.00 लाख (बियालीस करोड़ उनचास लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है ।

4. प्रशासी विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067890302 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन में राज्यांश के रूप में रू0 4249.00 लाख (बियालीस करोड़ उनचास लाख) राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

5. स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067890302 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

6. स्वीकृत राशि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत चालू स्कीम पर व्यय की जानी है, फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्रांक- एम04-53/2007-2199 दिनांक- 24.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में संसोधित बजट उपबंधित राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम है ।

7. (i) स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होगें तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

(ii) विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-SRLM, canara Bank, Account No.-8531101010676, IFSC Code- CNRB0008531, Vidhyut Bhawan, Bailey Road, Patna, Bihar में जमा कर देंगे । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3002 दिनांक- 26.04.2017 के शिथिलीकरण संबंधी प्रावधानों के अलावे परिपत्र सं0- 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित शेष प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

10. प्रस्ताव में प्रशासी विभाग का अनुमोदन संचिका सं०- ग्रा०वि०-6-बजट/05-03/2017 के पृष्ठ 28/टि० पर दिनांक- 09.02.2018 को प्राप्त है ।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- ग्रा०वि०-6-बजट/05-03/2017 के पृष्ठ 29/टि० पर दिनांक- 15.02.2018 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह०/

(राजेश परिमल)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक ______________ पटना, दिनांक ______________

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 356527 पटना, दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि- अनिल सुब्रमनियम, उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना /उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा/ आई०टी०मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10)/सांख्यिकी प्रकोष्ठ/प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

26.2.18

सरकार के उप सचिव